



parmeshwarkaniyam.org

परिशिष्ट 8b: बलिदान — आज इन्हें मान पाना क्यों असम्भव है

यह पृष्ठ उस श्रृंखला का हिस्सा है जो परमेश्वर की उन व्यवस्थाओं की पड़ताल करती है जिन्हें केवल तभी माना जा सकता था जब यरूशलेम में मंदिर खड़ा था।

- [परिशिष्ट 8a: वे परमेश्वर की व्यवस्थाएँ जिन्हें मंदिर की आवश्यकता थी](#)
- [परिशिष्ट 8b: बलिदान — आज इन्हें मानना क्यों असम्भव है \(यह पृष्ठ\)।](#)
- [परिशिष्ट 8c: बाइबिल के पर्व — आज इनमें से कोई भी क्यों नहीं रखा जा सकता](#)
- [परिशिष्ट 8d: शुद्धिकरण की व्यवस्थाएँ — मंदिर के बिना इन्हें मानना क्यों असम्भव है](#)
- [परिशिष्ट 8e: दशमांश और पहिलौठे फल — आज इन्हें मानना क्यों असम्भव है](#)
- [परिशिष्ट 8f: परमप्रसाद सेवा — यीशु का अंतिम भोजन पास्का था](#)
- [परिशिष्ट 8g: नजीर और मन्नत की व्यवस्थाएँ — आज इन्हें मानना क्यों असम्भव है](#)
- [परिशिष्ट 8h: मंदिर से संबंधित आंशिक और प्रतीकात्मक आज्ञाकारिता](#)
- [परिशिष्ट 8i: क्रूस और मंदिर](#)

व्यवस्था ने वास्तव में क्या माँगा था

इस्राएल को दी गई सब आज्ञाओं में से किसी का भी वर्णन बलिदानों जितनी विस्तार से नहीं किया गया था। परमेश्वर ने हर बात को स्पष्ट किया: किस प्रकार का पशु, उसकी आयु, उसकी शारीरिक दशा, लहू के साथ क्या किया जाएगा, वेदी कहाँ होगी, याजकों की क्या भूमिका होगी और सेवा के समय वे कौन से वस्त्र पहनेंगे। प्रत्येक प्रकार के बलिदान — होमबलियाँ, पापबलि, दोषबलि, मेलबलि और नित्य की बलियाँ — एक दैवी नमूने के अनुसार चढ़ाई जाती थीं, जिसमें व्यक्तिगत कल्पनाशीलता या भिन्न व्याख्या के लिए कोई स्थान नहीं छोड़ा गया था। “याजक यह काम करेगा... वेदी यहाँ होगी... लहू वहाँ लगाया जाएगा...”। परमेश्वर की व्यवस्था बिल्कुल सही आज्ञाकारिता का प्रबन्ध है, न कि ऐसी सलाहें जिन्हें परिस्थितियों के अनुसार बदल दिया जाए।

बलिदान कभी केवल “परमेश्वर के लिए किसी पशु को मार डालना” नहीं था। वह एक पवित्र कार्य था जो केवल मंदिर के आँगन में किया जाता था (लैव्यव्यवस्था 17:3-5; व्यवस्थाविवरण 12:5-6; 12:11-14), केवल हारून के वंश के अभिषिक्त याजकों द्वारा (निर्गमन 28:1; 29:9; लैव्यव्यवस्था 1:5; गिनती 18:7), और केवल धार्मिक शुद्धता की दशा में (लैव्यव्यवस्था 7:19-21; 22:2-6)। भक्त स्थान नहीं चुनता था। भक्त यह नहीं चुनता था कि सेवा कौन करेगा। भक्त

यह नहीं ठहराता था कि लहू कैसे संभाला जाएगा या कहाँ लगाया जाएगा। पूरा प्रबन्ध परमेश्वर की योजना के अनुसार था, और आज्ञाकारिता का अर्थ था उस योजना के प्रत्येक विवरण का सम्मान रखना (निर्गमन 25:40; 26:30; लैव्यव्यवस्था 10:1-3; व्यवस्थाविवरण 12:32)।

अतीत में इस्राएल ने इन आज्ञाओं का पालन कैसे किया

जब मंदिर मौजूद था, तब इस्राएल ने इन व्यवस्थाओं को ठीक उसी प्रकार पूरा किया जैसा आज्ञा दी गई थी। मूसा, यहोशू, शमूएल, सुलैमान, हिजकिय्याह, योशिय्याह, एज़रा और नहेमायाह की पीढ़ियाँ उसी बलिदान के द्वारा परमेश्वर के पास आईं जिसे उसने स्वयं ठहराया था। किसी ने दूसरी वेदी नहीं बनाई। किसी ने नई विधियों की रचना नहीं की। किसी ने अपने घरों में या स्थानीय सभाओं में बलिदान नहीं चढ़ाए। यहाँ तक कि राजा भी — अपने सारे अधिकार के बावजूद — उन कर्तव्यों को नहीं कर सकते थे जो केवल याजकों के लिए सुरक्षित थे।

पवित्रशास्त्र बार-बार दिखाता है कि जब-जब इस्राएल ने इस व्यवस्था को बदलने का प्रयास किया — अनधिकृत स्थानों पर बलिदान चढ़ाकर या गैर-याजकों को पवित्र कार्य करने देकर — तब परमेश्वर ने उनकी उपासना को ठुकरा दिया और अक्सर न्याय भी भेजा (1 शमूएल 13:8-14; 2 इतिहास 26:16-21)। विश्वासयोग्यता का अर्थ था वैसा ही करना जैसा परमेश्वर ने कहा, उसी स्थान पर जिसे उसने चुना, उन्हीं सेवकों के माध्यम से जिन्हें उसने नियुक्त किया।

ये आज्ञाएँ आज क्यों पूरी नहीं की जा सकतीं

सन् 70 ईस्वी में रोमन लोगों द्वारा मंदिर के नष्ट कर दिए जाने के बाद पूरा बलिदानी प्रबन्ध, व्यवहार में, असम्भव हो गया। यह इसलिए नहीं कि परमेश्वर ने उसे रद्द कर दिया, बल्कि इसलिए कि इन आज्ञाओं का पालन करने के लिए परमेश्वर द्वारा दिया गया ढाँचा अब उपस्थित नहीं है। न कोई मंदिर है, न वेदी, न अतिपवित्र स्थान, न अभिषिक्त याजक-वर्ग, न शुद्धता की स्थापित प्रणाली, और न पृथ्वी पर कोई ऐसा अधिकृत स्थान जहाँ बलिदान का लहू परमेश्वर के सामने प्रस्तुत किया जा सके।

इन बातों के बिना “अपनी पूरी कोशिश करना” या “व्यवस्था की भावना को निभाना” जैसी कोई चीज़ नहीं रह जाती। आज्ञाकारिता वही परिस्थिति माँगती है जिन्हें परमेश्वर ने स्वयं ठहराया है। जब वे परिस्थिति ही समाप्त हो जाए, तो आज्ञाकारिता असम्भव हो जाती है — इसलिए नहीं कि हम आज्ञा मानने से इंकार कर रहे हैं, बल्कि इसलिए कि इन विशिष्ट आज्ञाओं को पूरा करने के लिए आवश्यक साधन स्वयं परमेश्वर ने हटा दिए हैं।

बलिदानों के बन्द हो जाने के बारे में दानिय्येल ने क्या भविष्यद्वाणी की

पवित्रशास्त्र ने स्वयं पहले से बता दिया था कि बलिदान बन्द हो जाएँगे — यह इसलिए नहीं कि परमेश्वर ने उन्हें रद्द कर दिया, बल्कि इसलिए कि मंदिर नष्ट कर दिया जाएगा। दानिय्येल ने लिखा कि “बलिदान और भेंट दोनों बन्द कर दिए जाएँगे” (दानिय्येल 9:27), पर उसने कारण भी बताया: नगर और पवित्रस्थान को शत्रु की सेना नष्ट कर देगी (दानिय्येल 9:26)। दानिय्येल 12:11 में भविष्यद्वक्ता फिर कहता है कि नित्य का बलिदान “हटा लिया जाएगा”, यह अभिव्यक्ति किसी हिंसक और उजाड़ करनेवाली कार्यवाही को बताती है, न कि व्यवस्था को रद्द करने को। दानिय्येल की पुस्तक में कहीं यह संकेत नहीं है कि परमेश्वर ने अपनी आज्ञाओं को बदल दिया। बलिदान इसलिए बन्द हुए क्योंकि मंदिर उजाड़ कर दिया गया, ठीक वैसे ही जैसे भविष्यद्वक्ता ने कहा था। इससे सिद्ध होता है कि स्वयं व्यवस्था अछूती बनी रहती है; केवल वह स्थान हटाया गया है जिसे आज्ञाकारिता के लिए परमेश्वर ने चुना था।

प्रतीकात्मक या गढ़े हुए बलिदानों की भूल

कई मसीही-यहूदी समूह बलिदानी प्रबन्ध के कुछ भागों की प्रतीकात्मक नकल करने का प्रयास करते हैं। वे फसह के भोजन रखते हैं और उसे “बलिदान” कह देते हैं। वे सभाओं में धूप जलाते हैं। वे रीति-रिवाजों का अभिनय करते हैं, हिलाते हुए भेंटों की नकल करते हैं और नाटकीय कार्यक्रमों के द्वारा यह दिखाने की कोशिश करते हैं कि वे “तोरा का आदर” कर रहे हैं। दूसरे लोग “भविष्यद्वाणी-बलिदान”, “आत्मिक बलिदान” या “भविष्य के मंदिर के लिए अभ्यास” जैसी शिक्षाएँ गढ़ लेते हैं। ये अभ्यास धार्मिक प्रतीत हो सकते हैं, पर वे आज्ञाकारिता नहीं हैं — वे मनुष्य की बनाई बातें हैं।

परमेश्वर ने कभी प्रतीकात्मक बलिदान नहीं माँगे। परमेश्वर ने कभी मनुष्यों की कल्पना से बनाए गए विकल्प स्वीकार नहीं किए। और जब लोग वह काम बाहर करने की कोशिश करते हैं जिसे उसने केवल मंदिर के भीतर करने की आज्ञा दी थी, तब वह सम्मानित नहीं होता। मंदिर के बिना इन आज्ञाओं की नकल करना विश्वासयोग्यता नहीं है; यह उस सटीकता की उपेक्षा है जिसके साथ परमेश्वर ने उन्हें स्थापित किया था।

बलिदान उसी मंदिर की प्रतीक्षा कर रहे हैं जिसे केवल परमेश्वर ही पुनर्स्थापित कर सकता है

बलिदानी व्यवस्था न तो समाप्त हुई है, न ही रद्द की गई है, और न ही उसे मनुष्य द्वारा गढ़े गए प्रतीकात्मक कार्यों या आत्मिक रूपकों से बदल दिया गया है। व्यवस्था, भविष्यद्वक्ताओं या यीशु के वचनों में कहीं यह घोषित नहीं किया गया कि बलिदानों से सम्बन्धित आज्ञाएँ समाप्त हो गई हैं। यीशु ने स्वयं व्यवस्था के हर भाग की अनन्त वैधता की पुष्टि की, यह कहते हुए कि जब तक आकाश और पृथ्वी टल नहीं जाते, व्यवस्था का एक भी छोटा से छोटा अक्षर न टलेगा (मती 5:17-18)। आकाश और पृथ्वी अब भी बने हुए हैं। इसलिए, आज्ञाएँ भी बनी हुई हैं।

पूरा पुराने नियम में परमेश्वर बार-बार यह वादा करता है कि हारून की याजकाई के साथ उसका वाचा “सदा की वाचा” है (निर्गमन 29:9; गिनती 25:13)। व्यवस्था बलिदानी विधियों को “सदा की विधि, पीढ़ी-दर-पीढ़ी” कहती है (जैसे लैव्यव्यवस्था 16:34; 23:14; 23:21; 23:31; 23:41)। किसी भी भविष्यद्वक्ता ने कभी इन आज्ञाओं के अन्त की घोषणा नहीं की। इसके विपरीत, भविष्यद्वक्ता उस भविष्य की बात करते हैं जिसमें जाति-जाति के लोग इस्राएल के परमेश्वर का आदर करेंगे और उसका घर “सब जातियों के लिए प्रार्थना का घर” कहलाएगा (यशायाह 56:7) — यही पद यीशु ने मंदिर की पवित्रता की रक्षा के लिए उद्धृत किया (मरकुस 11:17)। यीशु ने इस पद को मंदिर के अन्त की घोषणा करने के लिए नहीं, बल्कि उसे भ्रष्ट करनेवालों को दोषी ठहराने के लिए उद्धृत किया।

क्योंकि व्यवस्था ने कभी इन बलिदानों को रद्द नहीं किया, और क्योंकि यीशु ने उन्हें रद्द नहीं किया, और क्योंकि भविष्यद्वक्ताओं ने कभी उनकी समाप्ति नहीं सिखाई, इसलिए हम केवल वही निष्कर्ष निकालते हैं जिसकी पवित्रशास्त्र अनुमति देता है: ये आज्ञाएँ अब भी परमेश्वर की अनन्त व्यवस्था का भाग हैं, और इन्हें आज इसलिए नहीं माना जा सकता क्योंकि जिन बातों को स्वयं परमेश्वर ने आवश्यक ठहराया था — मंदिर, याजक-वर्ग, वेदी और शुद्धता-प्रणाली — वे आज उपलब्ध नहीं हैं।

जब तक परमेश्वर स्वयं उस बात को पुनर्स्थापित नहीं करता जिसे उसने ही दूर किया है, तब तक हमारी सही प्रवृत्ति नम्रता है — न कि नकल। हम उस बात को फिर से बनाने की कोशिश नहीं करते जिसे परमेश्वर ने स्थगित किया है। हम वेदी को नहीं हटाते, स्थान को नहीं बदलते, विधि में परिवर्तन नहीं करते और न प्रतीकात्मक रूप गढ़ते हैं। हम व्यवस्था को स्वीकार करते हैं, उसकी परिपूर्णता का सम्मान करते हैं और जो कुछ परमेश्वर ने आज्ञा दी है उसमें कुछ जोड़ने या घटाने से इंकार करते हैं (व्यवस्थाविवरण 4:2)। उससे कम कोई भी बात आंशिक आज्ञाकारिता है — और आंशिक आज्ञाकारिता वास्तव में अवज्ञा है।